Publication
Publisher - Dr. Deepti
Annexure VII CAT III (B)
(Page 54) Cont.

कोरोना काल में महिलाओं संबंधी मुद्दे

डॉ. दीप्ति

बीज शब्द : बेरोज़गारी, स्वास्थ्य, यौन शोषण, घरेलू हिंसा।

ईश्वर की अद्भुत संरचना नारी असीम क्षमताओं, योग्यताओं एवं संपूर्ण कलाओं में दक्ष होते हुए भी प्राचीन काल से ही स्वयं को सिद्ध करने हेतु पुरुष द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में फँसी हुई है। जितनी बार पुरुष द्वारा नारी को पराजित एवं हीन प्रमाणित करने का प्रयास हुआ है, उतनी बार उसने अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को सिद्ध करके उन्हें ओर भी निखारा है। पुरुष नारी को अपने से कितना भी कमतर आँके, लेकिन ईश्वर ने योग्यता एवं क्षमता पुरुष व स्त्री को बाँटने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी ने अपनी बुद्धिमता और प्रतिभा के बल पर सफलता की नई ऊँचाइयों को छुआ है।

जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से मानव जाति को समय-समय पर विभिन्न आपदाओं का सामना करना पड़ा है। मानव विभिन्न बीमारियों या महामारियों जैसे—ब्लैक खसरा, काली खाँसी, येलो फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, छोटी चेचक आदि से प्रताड़ित होता रहा है और इन घातक बीमारियों में आज एक और नाम जुड़ गया है—कोरोना। 21वीं सदी के वैज्ञानिक उन्नति के दौर में आज विश्व कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक कर खड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को आज महामारी घोषित कर दिया है। मानव के बाल की अपेक्षा 900 गुना छोटे कोरोना वायरस का संक्रमण आज विश्व भर में अपना भयानक रूप धारण कर खड़ा है। परमाणु के दौर में कीटाणु दुनिया भर में तहस-नहस का कारण बन रहा है। चीन के वुहान शहर के खाद्य बाजार

सहायक प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), हिन्दू कॉलेज, अमृतसर, पंजाब

Annexure XII (AT II (B)
(Page-55) Cont.

से निकले इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, जो जुकाम एवं खाँसी से आरंभ होकर भयावह रूप धारण कर रोगी के श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यहाँ तक कि वह रोगी के प्राण भी हर लेता है। एक मानव से दूसरे मानव में फैलने वाला यह संक्रमण पूरी दुनिया में आतंक मचाए हैं। विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने वाली विश्व की सुपर पावर समझी जाने वाली शक्तियाँ अर्थात् विकसित देश आज एक छोटे से वायरस के आगे पराजित हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से पूरा विश्व एक भयंकर कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। इस दौरान विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ी भारी चोट पड़ी है। विश्व के कई देशों को लॉकडाउन लगाना पड़ा है। आज पूरे संसार में लाखों लोग कोरोना संक्रमण से संक्रमित हैं और कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा स्वच्छता तथा सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जा रहा है ताकि मौतों की क्रमवार कड़ी को तोड़ा जा सके। इस दौरान इन संबंधित देशों की जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नारी जाति भी कोरोना काल में पैदा हुई समस्याओं से अछूती नहीं रही है। इस कोरोना काल में महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे उभर कर आए हैं।

महिलाओं से संबंधित एक मुद्दा काम-काजी सिंगल मदर का है। सिंगल मदर अर्थात् बिना शादी के गोद लिए गए बच्चों की माँ या जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है या तलाकशुदा है। इन महिलाओं के कंधों पर अपने बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को वे बखूबी निभाती भी हैं। अपने बच्चों को वे डे केयर सेंटर में छोड़कर दफ्तर का काम बहुत अच्छे से सँभालती हैं। "संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 4.5 प्रतिशत परिवार को सिंगल मदर चला रही है। इसके मुताबिक भारत में करीब 13 मिलियन सिंगल मदर है जिनका परिवार पूरी तरह से उन पर निर्भर है।"[1] वे कामकाजी सिंगल मदर अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ कर काम पर जाती थीं, लेकिन इस कोरोना काल में डे केयर सेंटर बंद होने के कारण उन्हें अपने बच्चों को कहीं और छोड़ने की समस्या आ रही है।

कोरोना काल में बेरोजगारी से नारी भी पीड़ित हुई है। आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनने हेतु नारी व्यवसाय व नौकरी आदि के द्वारा आजीविका के साधन स्वयं ही जुटाती है। विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, परंतु कोरोना काल में कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में

Annexure VII CAT III (B) (Page-56) Cont.

लॉकडाउन कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नौकरियों में बहुत कमी आई है। विभिन्न क्षेत्रों-रिटेल, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, एयरलाइंस, एक्सपोर्टेड इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य, टूरिज्म, होटलों, प्राइवेट कंपनियों यहाँ तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत घाटों का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप इन संस्थाओं से जुड़ी हुई बहुत-सी नारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।"विश्व में कोरोना वायरस महामारी के कारण मंद होती आर्थिक गतिविधियों का महिला कर्मचारियों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व (चीन को छोड़कर) में कोरोना वायरस महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए क्षेत्रों के 44 करोड़ कर्मचारियों में बेरोजगारी का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या 31 करोड़ है।"[2]

कोरोना के बारे में सर्वविदित मान्यता है कि यह समुदाय में बहुत तेजी से फैलता है। इसी कारण सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप खुशी व गमी के मौके पर सीमित लोगों के सम्मिलित होने का आदेश दिया गया है। इसी कारण आज सरकार के प्रतिबंधों के चलते शादी में 50 लोग शामिल करने की अनुमति है। एक तरह से देखा जाए तो विवाह आदि के अवसर पर 50 लोगों के सम्मिलित होने का नियम बहुत ही अच्छा है। इसके पहले वधू पक्ष को विवाह के अवसर पर लोक दिखावे के लिए नाजायज ही लाखों रुपयों का खर्च करना पड़ता था। इस सीमित खर्च का लाभ और हानि दो पहलू हैं। कोरोना काल में यह सीमित खर्चा भी वधू पक्ष वालों के लिए व नवविवाहिता के लिए समस्या बन गया है। इसके कारण कई बार नवविवाहित स्त्रियों को ससुराल से ताने सुनने को मिलते हैं कि शादी में कम मेहमानों के शामिल होने पर जो लाखों रुपए बच गए हैं। उनकी उन्हें नकदी या गाड़ी दी जाए। 21वीं सदी के दौर में भी ऐसा वर पक्ष का वर्ग विद्यमान है जो संस्कारी, सुशिक्षित वधु को पाने के बाद भी दहेज का लोभ रखता है। वर पक्ष वधु पक्ष वालों पर उनकी नाजायज माँगे पूरी करने का दबाव डालता है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार नवविवाहिता दहेज की बलिवेदी पर कुर्बान हो जाती है।

इस कोरोना काल में एक अन्य मुद्दा गर्भवती स्त्रियों से संबंधित भी है। नारी इस विश्व की जननी के रूप में भी जानी जाती है। गर्भ धारण करके अत्यंत प्रसव पीड़ा सहन करके नवजात शिशु को जन्म देती है। नवजन्मे शिशु

16.4

Annexure VII (AT II (5) (Page-57) Cont

के उत्तम पालन-पोषण द्वारा उसे संस्कारी बनाकर वह विश्व एवं समाज के कल्याण में अपनी अमूल्य व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित संतान अच्छे नागरिक के रूप में किसी भी देश व समाज के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देती हैं। अतः वे किसी भी देश एवं समाज का सुनहरा भविष्य होते हैं। अतः सभी का कर्तव्य है कि गर्भवती स्त्री की सुख-सुविधा एवं चिकित्सा का ध्यान रखा जाए। गर्भावस्था के दौरान स्त्री के रेस्पिरेट्री सिस्टम और इम्यूनिटी में बदलाव आ जाता है, जिस कारण भी वह आसानी से किसी बीमारी का शिकार हो जाती है। गर्भवती स्त्रियों को उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर तत्कालीन इलाज की जरूरत होती है। किंतु इस कोरोना काल में गर्भवती स्त्रियों को आपातकालीन इलाज मिलने की अपेक्षा उन्हें पहले कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते उन्हें तत्कालीन इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक भयावह समस्या है। महामारी के दौरान कई गर्भवती महिलाएँ कोरोना बीमारी से संक्रमित हो गई, हालाँकि कोरोना से संक्रमित गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का आँकड़ा कम ही रहा, परंतु अधिकतर गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अधिक प्रभावित हुआ, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इसके अतिरिक्त अधिकतर कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई है। कोरोना काल में अधिकतर गर्भवती महिलाओं और नई माँओं में चिंता और अवसाद के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके बहुत से कारण रहे, जैसे कि घर में उपयुक्त तनाव रहित वातावरण का न मिलना, घर के कामों का बढ़ना, बच्चों की देखभाल में रात-दिन लगे रहना, अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी का न होना, पति व ससुराल वालों का बुरा व्यवहार इत्यादि। कारण जो भी हो, गर्भवती महिलाओं व नई मांओं के लिए तनाव व चिंता के मामलों में वृद्धि उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव को दर्शाता है।

कोरोना काल में एक अन्य मुद्दा कामकाजी नारी से भी संबंधित है। सदियों से यह अवधारणा बनी हुई है कि घर सँभालना केवल नारी का उत्तरदायित्व है न कि पुरुष का। इसी कारण कामकाजी नारी पर घर और दफ्तर के उत्तरदायित्वों को निभाने की दोहरी जिम्मेदारी होती है। पुरुष स्वयं के ही माता-पिता और बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त माना जाता है और इन जिम्मेदारियों को निभाने की अपेक्षा हमेशा से ही उसकी पत्नी से की जाती है। कोरोना काल में दफ्तर का काम घर से करने के नियम के चलते पति अब 24 घंटे घर पर ही रहते

Annexure VII CAT III (B) (Page -58) Cont.

हैं। वहीं शिक्षण संस्थाओं के बंद होने के कारण बच्चे भी हमेशा घर पर ही रहते हैं। ऐसे में महिला पर बुजुर्गों, बच्चों और पति तथा घर से संबंधित कामकाज का बोझ दुगुना हो गया है। इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के डर से नौकरानियों ने भी काम पर आना बंद कर दिया है या उन्हें स्वयं घर वाले काम पर आने से मना कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को नौकरानी के भी काम स्वयं करने पड़ रहे हैं। साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना इत्यादि सभी कार्य नारी बिना थके व रुके कर रही है। अतः ऐसे मुश्किल समय में महिलाओं के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी कामकाजी नारी अपने प्रबंधन कौशल का परिचय देते हुए घर और दफ्तर दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। इसके लिए वह हंसती हुई अपनी निजी जिंदगी, स्वास्थ्य, खुशियों, सुख-सुविधाओं, नींद आदि की बलि देने से भी नहीं चूक रही है। प्रेमचंद्र गांधी के अनुसार, "स्त्री की आँखों में नींद का एक समुद्र है, जिसमें अखंड डूब जाना चाहती है वह, लेकिन घर और दफ्तर के बीच पसरा हुआ रेगिस्तान उसकी इच्छा को सोख लेता है।"[5] कोरोना काल में दफ्तर का काम घर से ही करने का चलन बन गया है। अतएव नारी भी घर से ही दफ्तर का कामकाज बखूबी सँभाल रही है, किंतु इसके चलते नारी की व्यक्तिगत निजी जिंदगी में उसके अफसरों का हस्तक्षेप बढ़ा है, क्योंकि उन्हें निश्चित कार्य करने की अवधि के पश्चात भी वक्त-बेवक्त उनके कॉल अटेंड करने के साथ-साथ उनके काम भी करने पड़ते हैं। एक तरफ तो वह घर से दफ्तर के कामकाज को पूरी कुशलता से कर रही है तो दूसरी ओर बच्चों के पालन-पोषण, घर के अन्य सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी तथा घर के कामकाज के उत्तरदायित्व का भी बखूबी निर्वाह कर रही है।

कोरोना काल में नारी के लिए एक अतिरिक्त मुद्दा सारा दिन बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ सँभालने का भी उत्पन्न हुआ है। कोरोना काल से पहले बच्चे शिक्षण संस्थाओं में जाकर पढ़ते थे और वहाँ से सीख कर घर पर आकर अपना होमवर्क कर लेते थे और इसमें उनकी माताओं को थोड़ा ही सहयोग देने की जरूरत पड़ती थी, परंतु अब इस भयावह दौर में सरकार के निर्देशों के अनुरूप शिक्षण संस्थाएँ बंद हो गई हैं। शिक्षण संस्थाओं के बंद होने से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसके कारण नारी का काम और भी बढ़ा है। आज बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का ध्यान रखने तथा उन्हें होमवर्क करवाने से संबंधित सभी अतिरिक्त कार्य नारी की दिनचर्या में सम्मिलित हुए

166

Annexure A-11 CAT-II CB (Page-59) Cont-

हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह जरूरी निर्देश दिया है कि घर से बाहर कोरोना का खतरा देखते हुए बच्चों और वृद्धों को घर के अंदर ही सुरक्षित रखा जाए। कोरोना काल से पहले बच्चे कहीं बाहर पार्क घूमने या रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते थे, जिससे उनका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता था, किंतु कोरोना काल में उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें घरों में ही बंद रखना अनिवार्य हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप वे चिड़चिड़ेपन के आदी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में नारी पर उनकी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है। बच्चे कहीं अवसाद के गहरे गर्त में ना चले जाएँ, इसके लिए वह लगातार उन्हें किसी न किसी कार्य में सारा दिन व्यस्त करती रहती है। बच्चे सारा दिन घर में बंद रह कर आपस में ही लड़ाई-झगड़ा करने लगते हैं। ऐसे में उन्हें काम, मोबाइल, टी.वी., खेल, गप्पबाजी में व्यस्त करने का कार्य भी नारी के हिस्से आ गया है। बच्चों को व्यस्त करने का कार्य सारा दिन बिना रुके नारी करती रहती है। बच्चों के साथ-साथ घर के वृद्ध सदस्यों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी नारी अपना भरपूर प्रयत्न करती हैं। कामकाजी नारी घर और दफ्तर के बीच संतुलन कायम रखते हुए अपने सुख-चैन और नींद को भी त्याग देती है। प्राचीन काल से ही आदर्श नारी के विभिन्न मापदंड पुरुष प्रधान समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं।" जितनी वह अपनी इच्छाओं- आकांक्षाओं को दबाती है, समाज उसे उतनी ही महान पतिव्रता, आदर्श नारी की उपमा देता है। वह संज्ञा विहीन, अस्तित्व हीन जीवन जीने को अभिशप्त, उत्पीड़ित है। जीवन में पल-प्रतिपल मरती-पिसती घुटन से भरी हुई जिंदगी जी रही है।"[4]

इसके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं से संबंधित मुद्दा भी है। प्रायः देखने में आता है कि गाँव के पुरुष सदस्य आजीविका के लिए बाहरी राज्यों में काम करने चले जाते हैं। ऐसे प्रवासी पुरुषों के परिवारों की स्त्रियों पर बच्चों और वृद्धों की देखभाल की जिम्मेदारियाँ होती हैं। ग्रामीण महिलाएँ घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए खेतों में या मजदूरी का काम भी करती हैं। उन्हें घर के कामों के साथ-साथ बाहर के काम भी अकेले ही करने पड़ते हैं। इन ग्रामीण महिलाओं के प्रवासी पति कुछ समय पश्चात अपने परिवार में थोड़े समय के लिए वापस आते हैं। इन थोड़े दिनों में वे घर और बाहर के कामों में अपनी पत्नियों की सहायता करते हैं, जिससे इन ग्रामीण महिलाओं का थोड़ी देर के लिए काम का बोझ व तनाव दूर हो जाता है, किंतु कोरोना काल

Annexure VII (AT III (B)
(Page 16) Cont.

में लॉकडाउन के चलते या लॉकडाउन खुलने के पश्चात भी यातायात के साधनों के चलने पर या तो प्रतिबंध रहे हैं या ये साधन बहुत कम चल रहे हैं, जिस कारण अधिकतर प्रवासी ग्रामीण पुरुष अपने घरों में वापस नहीं जा पा रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में ग्रामीण महिलाएँ जिम्मेदारियों के बोझ के साथ तनावग्रस्त हो गई है, जो कहीं-न-कहीं उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को क्षति पहुँचा रहा है। इसके अतिरिक्त अकेली रहने वाली विधवाओं और परिवार की इकलौती कमाने वाली महिला या दैनिक मजदूरी करने वाली नारियों पर आर्थिक तंगी के साथ-साथ कामकाज का दोहरा भार भी आ पड़ा है।

इस भयावह दौर में पुरुषों का एक ऐसा वर्ग भी विद्यमान है, जो नारी का सहायक एवं प्रशंसक बनने की अपेक्षा उसको प्रताड़ित एवं अपमानित करने से नहीं चूक रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "कई महिलाओं और लड़कियों के लिए जहाँ अपने घरों में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए, वहाँ खतरा सबसे बड़ा है। पिछले हफ्तों में आर्थिक और सामाजिक दबाव और डर बढ़ा है। हमने घरेलू हिंसा की घटनाओं में एक भयानक वैश्विक उछाल को देखा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी सरकारों से आग्रह करता हूँ कि वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनके निवारण के लिए कदम उठाए।"[5] महिलाओं के साथ हिंसा का होना अत्यंत चिंता का विषय है। बीबीसी के समाचार के अनुसार, "संयुक्त राष्ट्र में घरेलू हिंसा में विश्वव्यापी वृद्धि को कोविड-19 के साथ एक छाया महामारी के रूप में वर्णित किया है। लॉकडाउन के दौरान मामलों में 20% की वृद्धि हुई है।"[6] महिलाओं को अपने जीवन में जो हिंसा को सहना पड़ता है, उसका उनके यौन प्रजनन और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान नारी मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक शोषण, शारीरिक व यौन शोषण, लिंग आधारित हिंसा तथा घरेलू हिंसा इत्यादि की शिकार हो रही है।" राष्ट्रीय महिला आयोग को जून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की 2043 शिकायतें मिली, जो पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। एन.सी.डब्ल्यू. के आँकड़ों के मुताबिक, अकेले जून में घरेलू हिंसा की 452 शिकायतें मिली। 2043 शिकायतों में से सबसे अधिक संख्या 603 में 'गरिमा के साथ जीने का अधिकार' के अंतर्गत प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त 'गरिमा के साथ जीने का अधिकार' महिलाओं के भावनात्मक शोषण को ध्यान में रखता है। ...विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न के तहत 252 शिकायतें आई। इसके बाद 194

158

Annexure VII CAT [II (B)]
(Page-61) Cont.

महिलाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ की अपमानजनक शिकायतें सामने आई। एन.सी.डब्ल्यू. डाटा से पता चला कि महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता की 118 शिकायतें और साइबर अपराध की 100 शिकायतें मिली हैं। आँकड़ों में दिखाया गया है कि बलात्कार की 78 शिकायतें और बलात्कार के प्रयास की शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि यौन उत्पीड़न की 78 शिकायतें प्राप्त हुई।"[7]

इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। ये आँकड़े 21वीं सदी के समाज में नारी की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न को रेखांकित करते हैं। इसके साथ-साथ ये आँकड़े स्त्री के प्रति पुरुष की बीमार मानसिकता का भी परिचय देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान पुरुष की हैवानियत की हदें पार करने की खबर भी सुनाई दी।" दक्षिण दिल्ली के मैदान गढ़ी स्थित कोरोना सेंटर में एक 14 साल की कोरोना पॉजिटिव लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोविड सेंटर में भर्ती दो लड़कों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। दोनों लड़के भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यहाँ भर्ती करवाए गए थे।"[8] सोचने का विषय है कि ऐसी महामारी के दौरान भी कुछ ऐसे पुरुष है जो अपनी यौन तृप्ति के लिए सारी हदें लाँघने को तैयार बैठे हैं। महिला की इज्जत व मान-सम्मान का विचार उनके मन मस्तिष्क में दूर-दूर तक नहीं है। सुधा सिंह के अनुसार, स्त्री की अस्मिता का सवाल केवल व्यक्तिगत अस्मिता का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक अस्मिता का सवाल भी है। अस्मिता से जुड़ी समस्याओं का केंद्र में आना व्यापक रूप से आर्थिक और उत्तर-आधुनिक दौर में अस्मिता के बदलते रूपों-संस्थाओं और 'स्व' की बदलती चेतना के कारण संभव हुआ। अस्मिता का विमर्श व्यक्तिगत अस्मिता से सामाजिक अस्मिता का विमर्श है, यह विषय सामाजिक अस्मिता का विमर्श है। यह विषय सामाजिक यथार्थ की पड़ताल का विमर्श है।"[9]

21वीं सदी के परिदृश्य में महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र-व्यावसायिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक व सामाजिक इत्यादि में अपनी क्षमताओं व योग्यताओं का लोहा तो मनवा चुकी है, परंतु वास्तविकता में पुरुष के अपने प्रति कुत्सित दृष्टिकोण को क्या बदलने में सफल हो पाई है? एक मां, बेटी, बहन, पत्नी इत्यादि रूपों में नारी त्याग, सेवा, प्रेम, समर्पण के बदले आदर-सम्मान की भी अधिकारिणी नहीं बन पाई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पुरुष के जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली महिला आज भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित

Annexure VII (A) III (B) (Page -62) Cont

दिखाई देती है। महादेवी वर्मा का कथन है, क्या नारी के बड़े से बड़े त्याग को, आत्म निवेदन को, संसार में अपना अधिकार नहीं, किंतु उन्होंने अद्भुत दान समझकर नम्रता से स्वीकार किया है? कम-से-कम इतिहास तो नहीं बताता कि उसके किसी बलिदान को पुरुष ने अपनी दुर्बलता के अतिरिक्त कुछ और समझने का प्रयत्न किया।"[10] यह नारी का दुर्भाग्य है या भाग्य की विडंबना। आज भी नारी इस विषय पर चिंतन करने के लिए उतनी ही विवश है जितनी कि सदियों पहले थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. https://www.indiatimes.com/hindi/amp/india-news/single-mothers-head-4-5-of-all-indian-households-says-united-nation-report-in-hindi-369998.html
2. https://www.punjabkesari.in/national/news/corona-female-employees-unemployment-china-1176655
3. प्रभा खेतान, छिन्नमस्ता, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2010 पृष्ठ 186
4. राकेश कुमार, नारीवादी विमर्श, आधार प्रकाशन, ए.सी.एफ. 267, सेक्टर 16, पंचकूला, हरियाणा, प्रथम संस्करण 2001, पृष्ठ 201
5. https://www.naidunia.com/world-un-chief-says-global-surge-in-domestic-violence-amid-lockdown-due-to-corona-virus-outbreak-5451332
6. https://www.bbc.com/news/av/world-53014211/coronavirus-domestic-violence-increases-globally-during-lockdown&ved
7. https://newsable.asianetnews.com/india/coronavirus-lockdown-ncw-received-over-2-000-complaints-of-crimes-against-women-in-june-highest-in-8-months-qcvxno
8. https://hindi.asianetnews.com/national-news/corona-virus-minor-girl-sexual-assault-in-delhi-covid-care-center-kpp-qdyeyw
9. सुधा सिंह, ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ, ग्रंथ शिल्पी, लक्ष्मी नगर दिल्ली, संस्करण 2008, पृष्ठ 15
10. महादेवी वर्मा, शृंखला की कड़ियाँ, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2008, पृष्ठ 32